कार्यालय नगर परिषद सासाराम।

पत्रांक ...4427...../न0प0

5.5(APM)/507

2 8 DEC 2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/
प्रशासन एस0एस0–1 स्थानीय निकाय
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
सामाजिक प्रक्षेत्र–1 स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

सासाराम, दिनांक –25.12. 2018

विषयः– महालेखाकार (ले0प0) बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सादर कहना है कि महालेखाकार (ले0प0) बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 104/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अतः भवदीय से सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

ज्ञापांक –4427 दिनांक – 25.12.18

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

22/12/18

31/12/18

3 1 DEC 2018
13621

कार्यालय नगर परिषद सासाराम।

पत्रांक ....5527...../न0प0

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/
प्रशासन एस0एस0–1 स्थानीय निकाय
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
सामाजिक प्रक्षेत्र–1 स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

सासाराम, दिनांक –25.12.... 2018

विषयः– महालेखाकार (ले0प0) बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सादर कहना है कि महालेखाकार (ले0प0) बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 104/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अतः भवदीय से सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

22/12/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

22/12/18

कार्यालय नगर परिषद सासाराम।

पत्रांक ....5527..... /न0प0

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/
प्रशासन एस0एस0–1 स्थानीय निकाय
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
सामाजिक प्रक्षेत्र–1 स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

सासाराम, दिनांक –25.12.... 2018

विषयः– महालेखाकार (ले0प0) बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सादर कहना है कि महालेखाकार (ले0प0) बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 104/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अतः भवदीय से सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह0–

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

ज्ञापांक –5527 दिनांक – 25.12.18

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/12/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

22/12/18

कार्यालय नगर परिषद सासाराम।

पत्रांक ..../न0प0

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/
प्रशासन एस0एस0–1 स्थानीय निकाय
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
सामाजिक प्रक्षेत्र–1 स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

सासाराम, दिनांक – 2018

विषयः– महालेखाकार (ले0प0) बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सादर कहना है कि महालेखाकार (ले0प0) बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 104/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अतः भवदीय से सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

22/12/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

22/12/18

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/12/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सासाराम।

22/12/18

नगर परिषद सासाराम कार्यालय

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–104/2016–17 (अवधि–2014–15)

क्रम संख्या	आकेक्षण आपत्ति कड़िका	अनुपालन प्रतिवेदन
		Part-I
1	Interoducation	कोई टिप्पणी नही।
2	Administrotion	कोई टिप्पणी नही।
3	Scop of audit	अंकेक्षण आपत्ति में उल्लेखित संधारित। उपस्थापित नही किया जाने वाले पंजीयों में अधिकांश पंजी आदि संधारित किया जा रहा है। शेष संधारित करने का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4	Important audit finding	उल्लेखित कंडिका का अनुपालन संबंधित कंडिका के अनुपालन प्रतिवेदन में अंकित है।
5	Budget	बजट समय पर तैयार करने एवं सरकार से अनुमोदित कराने का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट में दर्शाये गये आज नगर परिषद के आतरिक संसाधनो/सरकार से प्राप्त होने वाले संभावित अनुदान के तहत तैयार किया जाता है तथा उसी के अनुसार व्यय भी प्रावधानित किया जाता है परन्तु आकलन के अनुसार राशि प्राप्त नही होने पर प्रस्तावित आय, व्यय एवं वास्तविक आय व्यय में अन्तर आ जाता है तथापि संतुलित बजट तैयार करने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाऐगा।
		Part-II (A)
1	Purchase of the 39 high mast light and 102 decorative poles	1. नगर परिषद बोर्ड द्वारा सौन्दर्यीकरण के लिए लगाये जाने वाले लाईट कि संख्या निर्धारित नही किया गया था इसी कारण निविदा सूचना में संख्या उल्लेखित नही था तथापि नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक द्वारा 12.05.2014 में संख्या का निर्धारण कर दिया गया और उसी के अनुरूप लाईट लगाये गये है। (12.05.2014 के सशक्त स्थायी समिति का कार्यवाही संलग्न है) भविषय के लिए अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2. नगर परिषद बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक–24.02.2014 में सौंदर्यीकरण के कार्यो को शीघ्र कराने का सर्वसम्मति से प्रस्तावित पारित किया गया था। आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागु होने के दृष्टिकोण से संक्षिप्त निविदा का प्रकाशन किया गया था। नगर परिषद बोर्ड की बैठक दिनांक–24.02.2014 कि कार्यवाही संलग्न है। 3. बिहार शहरी विकास अभिकरण को राज्य क्रम संगठन (spo) बनाये जाने संबंधित कार्यवाही में स्वतंत्र रूप से निविदा के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्रतिबंधित नही किया गया था। नगर परिषद द्वारा खुली निविदा के अनुसार समग्री को क्रय किया गया है। 4. निविदा सुचना मे इंडियन ट्रेड जनरल ऑथोरिटी के माध्यम से प्रकाशित करने संबंधित नियम के जानकारी के अभाव में वर्णित संस्था के माध्यम से निविदा को सुचना प्रकाशित नही किया गया। भवष्यि के लिये अनुपालन

सुनिश्चित किया जायेगा।

5. सौन्र्यीकरण हेतु लाईट लगाने की योजना की स्वीकृति नगर परिषद बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक–24.02.2014 में दिया गया तथा नगर परिषद वार्षिक बजट 2014–15 में लाईट लगाने आदि सौदर्यकरण के लिये विशेष प्रवधान 10000000.00 रूपये का किया है तथा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। लाईट लगाने का व्यय बजट में स्वीकृत राशि के अन्दर है। नगर परिषद 2014–15 के बजट की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।
6. हाई मास्ट लाईट एवं डेकोरेटिव पोल को लगाने से संबंधित कार्य निविदा के अनुसार दर निर्धारित कर कराया गया है। सशक्त स्थायी समिति के निर्णायनुसार सरकार का पत्रांक 862, दिनांक–21.02.2008 का संदर्भ दर वार्ता के लिये किया गया है एवं तुलनात्मक रूप से दोनो दृष्टिकोणो से विचार कर दर की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा दी गई है।
7. नगर प्रबंधक द्वारा लाईट लगाने का संख्या का आकलन अपने सुझ–बुझ से किया गया है तथा अन्तिम रूप से संख्या निर्धारण नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक–12.05.2014 में किया गया है।
8. लाईट लगाने का कार्यादेश में दर निविदा दर के अनुसार अंकित किया गया था परन्तु सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक 12.05.2014 में समीक्षोपरान्त संवेदको से दर वर्ता के बाद दर का निर्धारण किया गया एवं कार्य का भुगतान सशक्त स्थायी समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया गया है। संशोधित निर्धारित दर का अलग से कार्यादेश भूल से निर्गत नहीं किया गया तथापि संवेदक द्वारा दर के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है।
9. सहायक अभियंता द्वारा किये गये पर्यवेक्षण कार्य का प्रतिवेदन संचिका में उपलब्ध नहीं हो पाया है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10. लाईट कार्य का भंडार पंजी में प्रविष्टि किया गया है भंडार पंजी के संबंधित पृष्ट की छायाप्रति संलग्न है।
11. डेकोरेटिव पोल स्ट्रीट लाईट शहर के पुराने जी0टी0 रोड़ पर बौलिया मोड़ से बेदा नहर तक मुख्य पथ पर अधिष्ठापित किया गया है। इस संबंध में नगर प्रबंधक का सत्यापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।
12. हाई मास्ट लाईट एवं डेकोरेटीव पोल लगाने का सम्पूर्ण कार्य आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कन्ट्रेक्ट संविदा पर संबंधित फर्म लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रीक्लस वर्क्स को दिया गया था कार्यादेश की प्रति संलग्न है।

बिहार मूल्यवर्धिन कर अधिनियम (बिहार वैट अधिनियम 2005) के तहत संविदा आधारित कार्यो के विपत्र की सम्पूर्ण राशि पर (स्त्रोत पर) वैट की कटौती 4 प्रतिशत के दर से की जाती थी सुलभ प्रसंग हेतु वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव बिहार सरकार वित्त (वाणिज्य कर) विभाग बिहार पटना के पत्रांक बिक्री कर कार्य संविदा 01/05 दिनांक 13.02.2006 संलग्न है। पुनः कार्य संविदा के विपत्र से वैट की कटौती 5 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर की जाती है। इस संबंध में वाणिजय कर उपायुक्त रोहतास सासाराम के पत्रांक 114/12.02.2016 संलग्न है।

उक्त आलोक में हाई मास्ट लाईट एवं डेकोरेटीव पोल के कॉन्ट्रेक्ट कार्य विपत्र से 5 प्रतिशत की

<table>
<tr><td></td><td></td><td>दर से वैट की कटौती की गई है। इस प्रकार वैट की कम कटौती नहीं की गई है।
जहाँ तक सर्विस टैक्स की कटौती नहीं किये जाने का प्रश्न है विपत्र से संर्विस टैक्स स्त्रोत पर कटौती करने एवं उसे किस प्रकार कटौती कर कहां जमा करना हैं इस तरह का कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं था इस प्रकार सर्विस टैक्स की कटौती नहीं की गई।
संवेदक द्वारा अपनी निविदा में वैट 13.5 प्रतिशत का उल्लेख किया गया था तथापि वाणिज्य कर विभाग के उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के तहत संविदा कार्य के विपत्र से सम्पूर्ण राशि पर 5 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की गई है तथापि आंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में वैट की शेष राशि/सर्विस टैक्स की राशि संबंधित विभाग में जमा करने हेतु संबंधित फर्म को सूचना निर्गत किया गया है। संवेदक के द्वारा राशि जमा नहीं करने पर उसके जमानत की राशि से कटौती कर संबंधित विभाग में जमा कर दिया जायेगा।
13. हाई मास्ट लाईट एवं डेकोरेटीव पोल के विपत्र से 1.03 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की गई है चूकि यह कॉन्ट्रेक्ट कार्य है इसलिये कॉन्ट्रेक्ट कार्य के विपत्र से कटौती की गई है। तथापि आंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में संबंधित फर्म को आयकर की शेष राशि जमा करने का सूचना निर्गत किया जा रहा है।
इस प्रकार हाई मास्ट लाईट डेकोरेटीव पोल अधिष्ठापन का कार्य प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।
अतः अंकेक्षण आपति समाप्त किया जाये।</td></tr>
<tr><td colspan="3">Part II (B)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Purchase of 19 LED Screen Display</td><td>1. स्क्रीन डिस्प्ले का निविदा भूल से सीमीत निविदा प्रक्रिया का उल्लेख हुआ था लेकिन कार्य निविदा विज्ञापन के आधार पर ही किया गया।
2. नगर परिषद बोर्ड द्वारा सौन्दर्यकरण के लिए लगाये जाने बाले लाईट कि संख्या निर्धारित नही किया गया था इसी कारण निविदा सूचना में संख्या उल्लेखित नही था तथापि नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक द्वारा 12.05.2014 में संख्या का निर्धारण कर दिया गया और उसी के अनुरूप लाईट लगाये गये है। (12.05.2014 के सशक्त स्थायी समिति का कार्यवाही संलग्न है) भविषय के लिए अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. नगर परिषद बोर्ड द्वारा अपनि बैठक दिनांक–24.02.2014 में सौन्दर्यकरण के कार्यो को शीघ्र कराने का सर्वसम्मति से प्रस्तावित प्रारित किया गया था आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागु होने के दृष्टिकोण से संक्षिप्त निविदा का प्रकाशन किया गया था। नगर परिषद बोर्ड की बैठक दिनांक--24.02.2014 कि कार्यवाही संलग्न है।
4. भूलवश निविदा सूचना में निविदा देने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं हुआ था परन्तु निविदा उक्त निविदा के साथ सशक्त स्थायी समिति के समक्ष ही खोली गई थी।
5. बिहार शहरी विकास अभिकरण को राज्य क्रम संगठन (spo) बनाये जाने संबंधित कार्यवाही में स्वतंत्र रूप से निविदा के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्रतिबंधित नही किया गया था। नगर परिषद द्वारा खुली निविदा के अनुसार समग्री को क्रय किया गया है।</td></tr>
</table>

		6. निविदा सुचना मे इंडियन ट्रेड जनरल अथोरिटी के माध्यम से प्रकाशित करने संबंधित नियम के जानकारी के अभाव में वर्णित संख्या के माध्यम से निविदा को सूचना प्रकाशित नही किया गया। भविष्यि के लिये अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 7. सौन्दर्यकरण हेतु लाईट लगाने कि योजना की स्वीकृति नगर परिषद बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक–24.02.2014 में दिया गया तथा नगर परिषद वार्षिक बजट 2014–15 में लाईट लगाने आदि सौन्दर्यकरण के लिये विशेष प्रावधान रूपये का किया है तथा स्वीकृति प्रदान की गई है। लाईट लगाने का व्यय बजट में स्वीकृत राशि के अन्दर ही नगर परिषद 2014–15 के बजट की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। 8. हाईमास्ट लाईट एवं डेकोरेटीभ को लगाने के संबंधित कार्य निविदा के अनुसार दर निर्धारित कर कराया गया है। सशक्त स्थायी समिति के निर्णायनुसार सरकार का पत्रांक 862, दिनांक–21.02.2008 का संदर्भ दर वार्ता के लिये किया गया है एवं तुलनात्मक रूप से दोनों दृष्टिकोणो से विचार कर दर की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा दी गई है। 9. नगर प्रबंधक द्वारा लाईट लगाने का संख्या का आकलन अपने सुझ–बुझ से किया गया है तथा अन्तिम रूप से संख्या निर्धारण नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक–12.05.2014 में किया गया है। 10. स्क्रीन डिस्प्ले का कार्यादेश निविदा दर के अनुसार दिया गया था पर सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक 12.05.2014 में संवेदकों से दर वार्ता के बाद न्यूनतम दर निर्धारित किया गया तथा सशक्त स्थायी समिति द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ही स्क्रीन डिस्पले के विपत्रों का भुगतान किया गया है। 11. स्क्रीन डिस्प्ले का भंडार पंजी में प्रविष्टि किया गया है। भंडार पंजी के संबंधित पृष्ट की छायाप्रति संलग्न है। 12. स्क्रीन डिस्प्ले में द्वितीय विपत्र के वैट की कटौती फर्म द्वारा वैट की राशि जमा कर देने के प्रभाव के कारण नहीं की गई थी। स्क्रीन डिस्प्ले का कार्य सामग्री क्रय एवं अधिष्ठापन के सामान्य प्रक्रिया के तहत नगर परिषद बोर्ड द्वारा 24.04.2014 में तत्काल कार्य कराने का बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तव के आलोक में निविदा आमंत्रण एवं दर वार्ता के आधार पर किया गया है।
3	Purchase of 400 LED Streed Light and 30 Pre faberical urinal.	1. स्क्रीन डिस्प्ले का निविदा भूल से सीमीत निविदा प्रक्रिया का उल्लेख हुआ था लेकिन कार्य निविदा विज्ञापन के आधार पर ही किया गया था। 2. नगर परिषद बोर्ड द्वारा सौन्दर्यीकरण के लिए लगाये जाने वाले लाईट कि संख्या निर्धारित नही किया गया था इसी कारण निविदा सूचना में संख्या उल्लेखित नही था तथापि नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक द्वारा 12.05.2014 में संख्या का निर्धारण कर दिया गया और उसी के अनुरूप लाईट लगाये गये है। (12.05.2014 के सशक्त स्थायी समिति का कार्रवाही संलग्न है) भविषय के लिए अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. नगर परिषद बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक–24.02.2014 में सौंदर्यीकरण के कार्यो को शीघ्र कराने का सर्वसम्मति से प्रस्तावित पारित किया गया था। आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागु होने के दृष्टिकोण से संक्षिप्त निविदा का प्रकाशन किया गया था। नगर परिषद बोर्ड की बैठक दिनांक–24.02.2014 कि कार्यवाही संलग्न है।
4. भूलवश निविदा सूचना में निविदा देने की अंतिम तिथि का उल्लेलख नहीं हुआ था परन्तु निविदा उक्त निविदा के साथ सशक्त स्थायी समिति के समक्ष ही खोली गई थी।
5. बिहार शहरी विकास अभिकरण को राज्य क्रम संगठन (spo) बनाये जाने संबंधित कार्यवाही में स्वतंत्र रूप से निविदा के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्रतिबधित नही किया गया था। नगर परिषद द्वारा खुली निविदा के अनुसार समग्री को क्रय किया गया है।
6. निविदा सुचना मे इंडियन ट्रेड जनरल ऑथोरिटी के माध्यम से प्रकाशित करने संबंधित नियम के जानकारी के अभाव में वर्णित संस्था के माध्यम से निविदा को सुचना प्रकाशित नही किया गया। भवष्यि के लिये अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. नगर परिषद बोर्ड के द्वारा दिनांक 24.02.2014 में पारित प्रस्ताव के अनुसार निविदा सूचना सभी आईटमों के लिये किया गया था लेकिन राशि की उपलब्धता के आधार वार्तानुसार मात्र दो आईटम एल0ई0डी0 लाईट एवं प्री–फेब्रीकेटेड युरिनल का अधिष्ठापन कराया गया था उसी का भुगतान किया गया।
8. भूलवश सामग्रियों के संख्या को कार्यादेश में उल्लेखित नहीं किया गया था तथापि सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक 12.05.2014 में संख्या का विनिश्चय किया गया है और उसी के अनुसार कार्य हुआ है। कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
9. सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता का संबंधित पर्यवेक्षण प्रतिवेदन संचिका में उपलबध नहीं है इसकी खोज की जा रही है, जिसे आंकेक्षण विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10. L.E.D. लाईट के संबंध में वांछित विवरणी अभी संचिका में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्राप्त होती है विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।
11. लाईट एवं यूरीनल की अधिष्ठापन स्थल की सूची उपलब्ध होते ही विभाग को समर्पित की जायेगी।
12. (1) आयकर की कम कटौती राशि की वसूली के लिये संवेदक को सूचना निर्गत किया जा रहा है राशि की वसूली कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

(2) बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम बिहार और अधिनियम 2005 के तहत संविदा अधारित करने के विपत्र की सम्पूर्ण राशि के स्त्रोत पर वैट की 4 प्रतिशत की दर से कटौती किया जाना है। इस संबंध में वित (वाणिज्य कर) विभाग पटना के पत्रांक बिक्री कर कार्य संविदा 01/05 दिनांक 13.02.2006 संलग्न है। पुनः संविदा (कन्ट्रैक्ट) कार्य के विपत्र पर वैट की राशि 5 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी है इस संबंध में वाणिज्य कर उपायुक्त, रोहतास, सासाराम का पत्रांक 114 दिनांक 12.02.2016 संलग्न है।

एल0ई0डी. लाईट अधिष्ठापन संविदा आधारित कार्य है इस प्रकार वैट की राशि कटौती 5 प्रतिशत की

		दर से किया गया तथा आंकेक्षण के टिप्पणी आलोक में संबंधित फर्म को शेष राशि वापस करने की सूचना निर्गत किया जा रहा है। इस प्रकार एल0ई0डी. लाईट एवं यूरीनल अधिष्ठापन का कार्य नगर परिषद बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित पस्ताव एवं स्वीकृत दर पर निविदा की सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्य कराया गया है।
4	Demand and Collection of property tax.	डिमान्ड एवं कालेक्शन पंजी तैयार करने का निदेश सभी कर तहसीलदार एवं कर दारोगा एवं संबंधित सहायक को दिया गया है। सम्पत्ति कर की वसूली में प्रगति हुई है। वसूली कार्य में तेजी लाकर बकाया टैक्स की वसूली की कार्रवाई किया जा रहा है।
5	Non revision of rate of property tax and loss due to non revision.	सम्पत्ति कर निर्धारण का कार्य कराने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया था बोर्ड द्वारा कर पुनरीक्षण के संबंध में निर्णय नहीं लिये जाने के कारण कर का पुनरीक्षण कार्य नहीं हो पाया। तथापित सरकार के निदेशानुसार सम्पत्ति कर 9 प्रतिशत की दर से लिया जा रहा है तथा वर्ष 2016–17 से स्वयं कर निर्धारण के प्रक्रिया के तहत ही टैक्स निर्धारण कर वसूली की जा रही है। इस प्रकार कर की पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। जिसमें आंशिक प्रगति हो रही है। प्रतिवेदन अगले आंकेक्षण के समय उपस्थापित किया जायेगा।
6	Non remittance of Education cess and Helath cess.	वर्ष 31.03.2015 तक का बकाया स्वास्थ्य शेष की राशि कुल 6128100.00 रू0 सरकार के कोष में कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। अतः आंकेक्षण आपत्ति समाप्त किया जाये।
7	Non Production of voucher	भाउचर अगले अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित कर दी जायेगी।
8	Sairats Settelment Account (a) Loss of revenue in departmental collection Rs. 5.88 lakhs	सैरातों की बंदोबस्ती के लिये बार–बार विज्ञापन देने के बावजूद भी बंदोबस्ती नहीं हुई जिससे 6 सैरातों की विभागीय वसूली की गई। बन्दोबस्ती एवं विभागीय वसूली की तुलानात्मक कमी का कारण है कि बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित उच्च सुरक्षित राशि के तुलना में विभागीय रूप से कर्मचारियों के द्वारा प्रभावकारी ढंग से वसूली कार्य व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। साथ ही वर्णित सैरातों में अधिकांश सैरात अस्थायी है तथापि कर्मचारियों को विभागीय वसूली में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कम राशि संबंधित कर्मचारियों से वसूल करने संबंधी अंकेक्षण आपति कृपया समाप्त किया जाये।
8	(b) Non realization of stap fee	स्टाम्प शुल्क की राशि हेतु सूचना निर्गत किया गया है। राशि की वसूली कर अगले अंकेक्षण में उपस्थापित किया जायेगा।
9	Non Short realization of fee from transmission Towers (15.18)Lakh	मोबाईल टावर के शुल्क वसूली हेतु संबंधित संचालकों को सूचना निर्गत किया गया है। वर्ष 2015–16 में 40000.00, 2016–17 में 90400.0 रू0 की वसूली की गई है। जिसमें पूर्व बकाया राशि भी सम्मिलित हैं। मोबाईल टावरों से वसूली हेतु पुनः सूचना भेजी जा रही है। प्रगति प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण के समय उपस्थापित किया जायेगा।
10	Out Standing Shop rent 59.10 lakh	दुकानों से किराया वसूली हेतु आपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में

		क्रमशः 1275724.00 रु0, 2117164.00 रु0 एवं 942012.00 रु0 कुल – 4334900.00 रूपया किराया मद में वसूली की गई है जिसमें पूर्व का बकाया राशि भी सम्मिलित है। प्रगति अगले अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा नगर परिषद सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 20.09.2018 में सभी दुकानों के किराया का पुनरीक्षण किया गया है बढ़ते दर से वसूली कार्य हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
11	Income from own sources vis-à-vis establishment expenditure.	नगर परिषद के आय बढ़ाने के लिये अपेक्षित कार्रवाइ की जा रही है। जिसके तहत स्व कर निर्धारण के माध्यम से सम्पति कर की पुनरीक्षण प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। साथ ही दुकान किराया के दर का पुनरीक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जार रही है। अधिक आय जुटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। अतः अंकेक्षण आपति कृपा समाप्त किया जाय।
12	Non verification of expenditure under social securing schemes.	नाजीर द्वारा सामाजिक सुरक्षा मद में विभिन्न घटकों मे वितरित पेंशन की राशि वितरण का मिलान कर सत्यापित कर प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित की जायेगी।
13	Execution of schemes	(1) योजनाओं के चयन, टेन्डर प्रक्रिया, प्राक्कलन स्वीकृति आदि प्रक्रियाओं में समायिक कारणों से विलम्ब होने के कारण योजनाए विलम्ब से शुरू हुई थी। तथापि उल्लेखित सभी योजनायें पूर्ण हो गई है। प्रगति अगले अंकेक्षण के समय उपस्थापित किया जायेगा। अतः अंकेक्षण आपति कृप्या समाप्त किया जाये।
14	Publication of advance	लम्बित अग्रिम राशि की वसूली 40,000.00 चालीस हजार रूपया क्रमशः श्री अरविंद कुमार, कनीय अभियंता एवं ददन प्रसाद के नाम से अग्रिम की राशि की वसूली कर ली गई है। अग्रीम वसूली संबंधी रसीद की छायाप्रति संलग्न है। अतः आंकेक्षण आपति कृपया समाप्त किया जाय।
15	Purchase of 41 laptops	(1) बुडा को राज्य क्रम संगठन एजेन्सी बनाये जाने संबंधी सरकारी कार्यवाही में खुली निविदा से सामग्रियों क्रय करने के लिये मना नहीं किया गया है। नगर परिषद बोर्ड के निर्णय के आलोक में खुले निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्त कर क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार किया गया है। अतः अंकेक्षण आपति कृपया समाप्त किया जाये। (2) लैपटॉप की खरीदगी नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति के स्वीकृति से किया गया हैं स्टैंडिंग समिति के द्वारा डेल कम्पनी का लैपटॉप क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अंकेक्षण आपति कृप्या समाप्त किया जाये। (3) आयकर की कम कटौती 200065.00 रूप्या की वसूली के लिये संबंधित फर्म को सूचना निर्गत किया जा रहा है।
16	Maintance work of solar street light.	(1) मरम्मति कार्य के पूर्व स्थलों का सर्वेक्षण करने हेतु नगर प्रबंधक को सूचना निर्गत किया गया था परन्तु जो सोलर लाईट पूर्व से अधिष्ठापित थे उन्हीं का मरम्मति कार्य कराया जाना था किसी नये स्थल पर अधिष्ठापन नहीं किया जाना था इसलिये अलग से कोई सर्वेक्षण कार्य नहीं हुआ। वार्ड पार्षद द्वारा अनुशंसित सोलर लाईट की मरम्मति का कार्य कराया गया। सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.01.2015 में पारित प्रस्ताव के अनुसार

		वार्ड पार्षदगण को ही सत्यापित किया जाना था। कार्यवाही की प्रति संलग्न है। अतः अंकेक्षण आपति कृप्या समाप्त किया जाये। (2) व्यवहार न्यायालय में पूर्व से पुराने अधिष्ठापन सोलर लाईट का मरम्मति कार्य मौखिक आदेश के आधार पर फर्म द्वारा कराया गया था, जिस का सत्यापन प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय सासाराम रोहतास द्वारा पत्रांक 105/15 दिनांक 07.07.2015 द्वारा किया गया है। छायाप्रति संलग्न है। अंतः अंकेक्षण आपति कृप्या समाप्त किया जाये। (3) 4 अदद सोलर पैनल का सत्यापन प्रतिवेदन संचिका में नहीं मिला उपलब्ध कर उसे भेज दिया जायेगा। (4) आयकर की राशि की कटौती 1 प्रतिशत की दर से की गई हैं। अंकेक्षण टिप्पणी के अनुपालन में आयकर की शेष राशि 205405.00 रूपया वापस करने हेतु संबंधित फर्म को सूचना निर्गत किया जा रहा है।
17	Irregularities in purchase of sanitary equirpments.	(1) सशक्त स्थायी समिति द्वारा अपनी बैठक 18.01.2014 में सरकार के पत्रांक 862 दिनांक 21.02.2008 के आलोक में अन्य नगर निकाय के स्वीकृत दर पर सफाई उपकरण क्रय करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रतिलिपि संलग्न। उक्त निर्णय के आलोक में अन्य नगर निकाय के स्वीकृत दर के अनुसार सफाई उपकरणों का क्रय किया गया था। सरकार का प्रासंगिक पत्र मूल रूप से सफाई उपकरणों मं लिये ही था। अतः अंकेक्षण आपति कृप्या समाप्त किया जाये। (2) मोबाईल टॉयलट की आपूर्ति में विलम्ब हुआ था तथापि मोबाईल टॉयलेट शहर के नागरिक सुविधा के लिये आवश्यक था अतः लोकहीत में मोबाईल टॉयलेट के लिये आपर्तिकर्ता को समय उपलब्ध कराया गया। अतः अंकेक्षण आपति कृप्या समाप्त किया जाये। (3) पोल माउन्ट बीन 125 लीटर के दर के लिये डिहरी डालमिया नगर परिषद को पत्र भेजा जा रहा हैं दर प्राप्त होते ही आंकेक्षण विभाग को भेज दिया जायेगा। (4) सभी सामग्रियों की प्रविष्टि भंडार पंजी में अंकित है भंडार पंजी के संबंधित पृष्ट की छायाप्रति संलग्न है। अतः अंकेक्षण आपति कृप्या समाप्त किया जाये। (5) आयकर 1 प्रतिशत के दर से कटौती की गई हैं तथपि आंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में आयकर की शेष राशि 7214.00 रूपया वापस करने हेत संबंधित फर्म को सूचना निर्गत किया जा रहा हैं।
		TAN
1	Overview	कोई टिप्पणी नहीं।
2	Non reconciliation with Tresury/Bank	आंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा एवं NULM केशबुक का reconciliation तैयार कर लिया गया है तथा नगर परिषद कोष का पासबुक अधतन करा लिया गया है। अगले अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
3	Position of vtilisation of Grands	आंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अनुदान राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सरकार को भेज दिया गया है। अगले आंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

4	Blockase of tunal	आंकेक्षण प्रतिवेदन में उललेखित अनुदान राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सरकार को भेज दिया गया है। अगले अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
5	Trade Licence Fee	ट्रेड लाईसेंस फी मांग एवं वसूली पंजी तैयार करने के लिये संबंधित कर्मी को निदेश दिया गया है। साथ ही ट्रेड लाईसेंस फी जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।
6	Non Production ab-h-receipl and m recipl	वर्णित फर्म एच रसीद एवं मिश्लेनियस रसीद अगले अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।
	Discussion with the executive	कोई टिप्पणी नहीं।
8	Result of Audit	अनुपालन प्रतिवेन संबंधित कंडिकाओ में अंकित किया गया है।
9	General Remarks	अंकेक्षण के सुझावों का अनुपालन किया जा रहा है।

22/12/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद सासाराम।

22/12/18